(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व –I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली –110002

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व–1)/2015–16/डीएसएफ–VI/ दिनांक :

अधिसूचना

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व–1)/2015–16/ डीएसएफ–VI/ .– दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं0 08) की धारा 07 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0फा0 12(5)/97–वि0(सा0) /1406 तथा 01 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं0फा0 10(16)/वि0 (टी एंड ई)2009–10/जेएस वित्त/63 के आंशिक आशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 20 जुलाई, 2015 से प्रभावी होंगे, अर्थात् :–

(1) 31 दिसम्बर, 1999 की उक्त अधिसूचना में अंक "20" के स्थान पर अंक "40" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(2) 01 फरवरी, 2010 की उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ (क) में अंक "20" के स्थान पर अंक "40" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)
उप– सचिव –VI (वित्त)

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व–1)/2015–16 / डीएसएफ–VI/540 दिनांक : 15/7/15

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः–

1 प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
3 सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन–ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. वेबसाइट ।
7. गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप– सचिव –VI (वित्त)